



प्रेस नोट-थाना जलालाबाद

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 13.12.2025



“थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा कूटरचित आधार कार्ड व जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश”

“थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से कूटरचित आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 नफर अभियुक्त को भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया गिरफ्तार”

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम, चिन्हित अपराधियों/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण व बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अनुराग दूबे, प्रभारी तहसीलदार तहसील जलालाबाद, श्री रोहित कुमार, नायब तहसीलदार तहसील जलालाबाद तथा प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कूटरचित आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर अधिक धनराशि वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान 02 नफर अभियुक्तों को भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेजों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.12.2025 को उपजिलाधिकारी जलालाबाद महोदय को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पल्हरई, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर में कोटेदार श्रीमती आरती देवी पत्नी गुड्डू राठौर के घर पर उनके पति गुड्डू राठौर द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान (आईडी) का दुरुपयोग कर कूटरचित आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए जा रहे हैं तथा उक्त फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कोटा राशन का भी अनुचित लाभ लिया जा रहा है।

प्राप्त सूचना के क्रम में श्री अनुराग दूबे, प्रभारी तहसीलदार तहसील जलालाबाद एवं नायब तहसीलदार श्री रोहित कुमार, तहसील जलालाबाद, पुलिस बल के साथ सरकारी बोलेरो वाहन संख्या UP 27 AQ 4486 से मौके पर पहुँचे तथा कोटेदार श्रीमती आरती देवी के घर पर एक साथ दबिश दी गई। घर के अंदर एक कमरे में लाल रंग के विद्युत तार से जल रहे एलईडी बल्ब के प्रकाश में एक मेज पर लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगर प्रिंट स्कैनिंग डिवाइस, आइरिस स्कैनिंग डिवाइस, वेब कैमरा एवं यूएसबी कनेक्टर चालू अवस्था में पाए गए। मौके पर एक व्यक्ति लैपटॉप पर टाइपिंग का कार्य कर रहा था तथा दूसरा व्यक्ति कागजातों को व्यवस्थित कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया।

मौके पर पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ एवं जामा तलाशी करने पर प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम हरगोविन्द पुत्र राजकिशोर शुक्ला, निवासी ग्राम मियांपुर, पोस्ट कोडरा सरैया, थाना बेहटा गोकुल, जनपद हरदोई बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अर्पित पाण्डेय पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम सहादतनगर, पोस्ट टोडरपुर रेलवे स्टेशन, थाना मङ्गिला, जनपद हरदोई बताया। जामा तलाशी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड की स्लिपें, आधार कार्ड की प्रतियां एवं दो कूटरचित जन्म प्रमाणपत्र बरामद किए गए, जिन पर संबंधित ग्राम पंचायतों के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित पाए गए।

पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर फरार व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि फरार व्यक्ति कोटेदार श्रीमती आरती देवी का पति गुड्डू राठौर पुत्र नव्वूलाल राठौर, निवासी ग्राम पल्हरई, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर है, जिसके पास थम्ब प्रिंट क्लोन उपलब्ध है तथा उसी के द्वारा कूटरचित आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र बनाने हेतु उन्हें अपने घर पर बुलाया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों एवं बरामद माल को थाना जलालाबाद लाकर उनके विरुद्ध मु0अ0स0 596/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हरगोविन्द पुत्र राजकिशोर शुक्ला उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम मियांपुर पोस्ट कोडरा सरैया थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई
2. अर्पित पाण्डेय पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सहादतनगर पोस्ट टोडरपुर रेलवे स्टेशन थाना मझिला जनपद हरदोई

वांछित अभियुक्त

गुड्डू राठौर पुत्र नव्वूलाल राठौर निवासी ग्राम पल्हरई थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 22.08 बजे, कोटेदार श्रीमति आरती देवी का घर व बहद ग्राम पल्हरई थाना जलालाबाद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 596/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

अपराध करने का तरीका:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण हरिगोविन्द व अर्पित पाण्डेय उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वे लोग अमन शाह, मोबाइल नं० 7223099492, इंडियन ओवरसीज बैंक, नई सड़क, बिहाइन्ड बिजली घर, डबारी पीठ, खाराकुँआ कॉलोनी, उज्जैन (मध्य प्रदेश) की आईडी का दुरुपयोग कर आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र को अपग्रेड/जेनरेट करने का कार्य करते थे। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे गूगल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र की पीडीएफ फाइल को एडिट कर उसमें किसी भी नाम व पते का कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र मात्र 05 मिनट में तैयार कर ग्राहक को उपलब्ध करा देते थे।

अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि उनके पास थम्बप्रिन्ट का क्लोन बना हुआ है, जिसके माध्यम से आधार कार्ड बनाने वाली आईडी को लॉग-इन किया जाता है। अभियुक्तगण को ग्राम पल्हरई, थाना जलालाबाद के कोटेदार गुड्डू राठौर द्वारा फर्जी आधार कार्ड तैयार कराने हेतु बुलाया गया था। अभियुक्तगण एवं गुड्डू राठौर के मध्य प्रति आधार कार्ड ₹200/- में सौदा तय हुआ था। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि इस अवैध कार्य से उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता था तथा वे यह कार्य काफी समय से करते आ रहे हैं। अभियुक्तगण ने स्वयं को बेरोजगार बताया। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि वे लोग ग्राम पल्हरई में फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहे थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। थम्बप्रिन्ट का क्लोन गुड्डू राठौर के पास था, उसी के माध्यम से आईडी खोली जाती थी। गुड्डू राठौर मौके का फायदा उठाकर थम्बप्रिन्ट क्लोन लेकर मौके से फरार हो गया। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यदि गुड्डू राठौर थम्बप्रिन्ट क्लोन लेकर फरार न होता, तो वे आईडी खोलकर दिखा देते।

बरामदगी का विवरण:-

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

1. 01 लैपटॉप – Lenovo ThinkPad X390, चार्जर सहित।
2. 01 प्रिन्टर – BROTHER कंपनी का।
3. 01 फिंगरप्रिन्ट स्कैनिंग डिवाइस।
4. 01 आइरिस स्कैनिंग डिवाइस।

5. 01 वेब कैमरा।
6. 01 यू०एस०बी० कनेक्टर।
7. 01 मोबाइल फोन – *iPhone 12 mini*, क्रीम रंग, iOS संस्करण 26.1, सिम नं० 7080039192, सीरियल नं० F4GHH0ED0GRN, IMEI नं० 355127842318430।
8. 01 मोबाइल फोन – *Samsung Galaxy F15 5G*, रंग डार्क ग्रे, मॉडल नं० SM-E156B/DS, सीरियल नं० RZCX61VY4TZ, सिम नं० 7518927890, IMEI-1 356494473753205, IMEI-2 356957253753207।
9. 01 मोबाइल फोन – *Realme C21-Y*, रंग नेवी ब्लू मॉडल नं० RMX3263, सिम नं० 9580188954, IMEI-1 869795057959251, IMEI-2 869795057959244।

फर्जी / कूटरचित दस्तावेज़ (बरामद सामग्री)

1. 07 अदद आधार कार्ड की स्लिपा।
2. 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड की प्रति।
3. 02 अदद व्हाट्सएप चैट की प्रति।
4. 04 अदद कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
5. 28 अदद सी०एस०सी० जनसेवा केन्द्र के विजिटिंग कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
2. वरिष्ठ उ०नि०श्री सकतावत सिंह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
3. उ०नि० श्री पवन कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
4. उ०नि० श्री लोकेश कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
5. कां० 2732 कुलदीप थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
6. कां० 2180 प्रवीण कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
7. म०कां० 2873 विनय सोलंकी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

शाहजहांपुर पुलिस ऐसे साइबर/फाइनेंशियल फ्रॉड गिरोहों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए हुए हैं और आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार केलोन/जॉब/ओटीपी/बैंक खातेसे संबंधित ऑनलाइन प्रलोभन से सतर्क रहें।